



संख्या:- 1316 / 12-1 देहरादून: दिनांक: 6 दिसम्बर, 2023

रोका में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग-03।

विषय:- जनपद—बागेश्वर के अन्तर्गत काण्डा मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.413 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/35046/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 2.413 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्ताव पर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर/वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के द्वारा संस्तुति दी गयी है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र पर संस्तुति कर इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवद्वीय,
(Signature) 06/10
(आर०क० मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या 1316 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्याल, 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट । से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
- मुख्य वन संरक्षक/कुमाऊँ नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय—समय पर प्रकरण की समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
- जिलाधिकारी, जनपद—बागेश्वर।
- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर।

(आर०क० मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/35046/2018)

17—	<p>टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।</p> <p>(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक की सहमति के पश्चात् प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।</p>
-----	--	--


हस्ताक्षर :

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर
अपर प्रमुख वन सरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

तिथि:

स्थान: देहरादून